accounts in short term deposits for 46 days in accordance with the instructions provided by this Ministry. Detailed guidelines are under finalisation and shall be published in the scheme for establishing and maintaining the Environment Relief Fund.

(b) and (c) The news report has highlighted the following issues:

(i) stagnation of Rs. 25 crores of Environment Relief Fund with insurance companies in absence of guidelines;

(ii) absence of instructions for investing the fund; and

(iii) non-compliance by Public Sector Units.

Regarding issues (i) & (ii) according to the available statistics, so far the contribution forwards ERF is Rs. 18 crore. The money is being reinvested regularly in short-term deposits and has earned a sum of Rs. 2.11 crores as interest. Detailed modalities to reinvest the fund have been incorporated in the scheme, under preparation, for establishment of ERF.

(iiv) So far, except for one case, none of the Public Sector Units have sought exemption under the Act. A few Public Sector Units have already taken out an insurance policy. Necessary instructions to the State Governments, who have been delegated with powers to give appropriate directions, have been issued to ensure compliance by Public Sector Units.

(d) The use of the Environment Relief Fund is restricted for meeting any claims beyond the liability of the insurer under the Public Liability Insurance Act, and cannot be diverted to development purposes.

Catering/Vending etc. Stalls at Railway Stations

1539. SHRI JALALUDIN ANSARI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the names of the contractors holding the catering/vending, book stalls, miscellaneous Article Stalls and fresh juice stalls in Northern Railway (Station and division-wise);

(b) the dates of allotment and execution of the agreements in each case as mentioned in part (a) above;

(c) the details with names of the contractors whose period of agreement expired and not renewed within the stipulated period in each division of Northern Railway; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Fruit Plants on forest land

1540. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government envisage the idea of growing fruit-plants on the forest land which is not only helpful in fruit production but also eco-friendly;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether such forest land would be given on lease, if required?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) to (c) The principal aim of the national Forest Policy 1988 is to ensure environmental stability and maintenance of ecological balance through afforestation. Accordingly, such suitable fruit trees as would fit in with the overall scheme of afforestation may be planted on forest lands. It is not, however, proposed to lease forest lands for horticultural purposes.

Projects under implementation in Paradip Port

1541. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) what are the important Projects under implementation in Paradip Port (Orissa); and

(b) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) The

following important projects are under implementation in Paradip Port;

(i) Construction of a Multi-purpose Cargo Berth at an estimated cost of Rs. 26.36 crores sanctioned by the Government on 13.8.1992.

(ii) Creation of mechanised coal handling facility at an estimated cost of Rs. 587.41 crores sanctioned by the Government on 23.4.1993.

हिन्दी समिति का प्रतिवेदन

1542. **श्री दिग्विजय सिंह:**
श्री अनन्तराम जायसवाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जुलाई, 1995 के हिन्दी दैनिक "हिन्दुस्तान" में "हिन्दी समिति 20 साल बाद भी अंतिम रिपोर्ट नहीं दे पाई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार हिन्दी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास करेगी यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार को कब तक समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद): (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार पूर्णत: तथ्यों पर आधारित नहीं है। वास्तविकता यह है कि राजभाषा नीति के विभिन्न पहलुओं की व्यापकता को देखते हुए तथा व्यवहारिकताओं को ध्यान में रखते हुए समिति ने जून, 1985 और सितम्बर, 1986 में हुई अपनी बैठकों में यह निर्णय लिया था कि राष्ट्रपति जी को प्रतिवेदन एक साथ प्रस्तुत करने के बजाए उसे विभिन्न खंडों में प्रस्तुत किया जाए और इसके प्रत्येक खंड का संबंध राजभाषा नीति व उसके कार्यान्वयन के पहलू विशेष से हो। तदनुसार समिति अब तक अपने प्रतिवेदन के पांच खंड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर चुकी है। प्रतिवेदन के प्रथम चार खंडों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश भी जारी हो चुके हैं। इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों को समय-समय पर आदेश/निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इस समय समिति के प्रतिवेदन के छठे और अंतिम खंड की तैयारी का कार्य चल रहा है जिसे मार्च, 1996 तक राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। छठे खंड में समिति द्वारा विदेशों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा के संबंध में भी एक अध्याय लिखा जाना प्रस्तावित है। इसलिए समिति ने हाल ही में कुछ देशों में भारतीय राजदूतावासों/मिशनों व भारत सरकार के अन्य कार्यालयों का निरीक्षण किया है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई.सी.सी.आर.) द्वारा विदेशों में खोले गए सांस्कृतिक केन्द्र

1543. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन देशों में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा सांस्कृतिक केन्द्र खोले गए हैं और आगामी दो वर्षों में किन-किन देशों में ऐसे केन्द्र खोले जाने का विचार है; और

(ख) वे कौन-कौन से देश या राजदूतावास हैं जिन्होंने अपने यहां सांस्कृतिक केन्द्र खोलने हेतु भारत सरकार से निवेदन किया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा खोले गए सांस्कृतिक केन्द्र इस समय मिस्र (काहिरा), जर्मनी (बर्लिन), गयाना (जार्जटाउन), इंडोनेशिया (जकार्ता), कजाकस्तान (अल्माती), मारीशस (पोर्ट लुई), रूस (मास्को), दक्षिण अफ्रीका (जोहन्सबर्ग और डरबन), उजबेकिस्तान (ताशकन्द), यू.के. (लन्दन) में कार्य कर रहे हैं।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के शासी-निकाय ने त्रिनिडाड और टोबेगो में एक सांस्कृतिक केन्द्र खोलने का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) सांस्कृतिक केन्द्र खोलने के संबंध में प्रस्ताव अमरीका तथा श्रीलंका में स्थित भारतीय मिशनों से प्राप्त हुए हैं।

सीमा विवाद के संबंध में भारत-बांग्लादेश वार्ता

1544. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:**
श्री दिग्विजय सिंह:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेश राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल के बीच जून के अंतिम सप्ताह में भीषण फायरिंग हुई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे तथा क्या भारत ने इस संबंध में बांग्लादेश सरकार से कोई बातचीत